JHP/904/RO
5:55PM
20.3.14

[प्रारूप 2 क,]

(नियम 4 देखिए)

# नाम निर्देशन पत्र

......................................................................लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

## भाग – I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं......................................................................................संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप मे नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम.....................................................................पिता/माता/पति का नाम..................................................

इनका डाक पता.......................................................................................................................................................

इनका नाम...................................................संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..................................(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ................................मैं क्रम संख्या..........................................पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम.........................................................है जो......................................................संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट...... ......................................................................विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग.............................. में क्रम संख्या..........................................पर प्रविष्ट है।

दिनांक..................................................... प्रस्तावक के हस्ताक्षर

---

C:\Brahamanand\ELC\Prarup 2A Hindi Ms

# भाग – II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नही खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद् द्वारा ...बक्सर... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम ...नरेन्द्र प्रतापसिंह... पिता/~~माता~~/पति का नाम ...श्री राम बचन सिंह...

उसका डाक पता ...ग्रा० - मल्हीपुर, पो० रौनी, थाना राजपुर, जिला : बक्सर...

उसका नाम ...बक्सर... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ...राजपुर विधान सभा 202...

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं. ...180... क्रम संख्या ...761... पर प्रविष्टि है।

**हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक है तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।**

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

| क्रम सं0 | प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या | | | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम | निर्वाचक नामावली की भाग संख्या | उस भाग संख्या में क्रम संख्या | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बक्सर 200 | 238 | 874 | धर्मराज सिंह | धर्मराज सिंह | 20.3.14 |
| 2 | बक्सर 200 | 184 | 322 | कमलेश कुमार सेठ | Kamlesh kumar seth | 20.03.14 |
| 3 | बक्सर 200 | 163 | 262 | अभिषेक कुमार तिवारी | [illegible] | 20/3/014 |
| 4 | बक्सर 200 | 163 | 290 | वीरेन्द्र कुमार यादव | विरेन्द्र कुमार यादव | 20.03.014 |
| 5 | बक्सर 200 | 163 | 296 | जितेन्द्र यादव | जितेन्द्र यादव | 20.3.014 |
| 6 | राजपुर 202 | 180 | 916 | मारकण्डेय गोसाई | मारकण्डेय गोसाई | 20.3.14 |
| 7 | राजपुर 202 | 180 | 695 | राजेन्द्र प्रसाद सिंह | राजेन्द्र प्रसाद सिंह | 20/3/14 |
| 8 | राजपुर 202 | 180 | 871 | सर्वजीत गोसाई | सर्वजीत गोसाई | 20.3.2014 |
| 9 | राजपुर 202 | 180 | 750 | संतोष कुमार सिंह | संतोष कुमार सिंह | 20,3,14 |
| 10 | राजपुर 202 | 180 | 66 | रमाशंकर राय | रमाशंकर राय | 20-3-14 |

**टिप्पणी :** प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

E:\Brahamanand\ELC\Prarup 2A Hindi Me

# भाग – III

मैं भाग I / भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैंने ......33............वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दे.

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में ..............×.................. दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में ...स्वतन्त्र......... दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i)..........................................(ii) ..........................................(iii)...............स्वतन्त्र...............

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता / माता / पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी ...............हिन्दी...............में (भाषा का नाम) सही हैं।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ..........लागू नहीं..........जाति / जनजाति का सदस्य हूँ जो..................

उस राज्य में के ............................(क्षेत्र) ........................................से संबंधित अनुसूचित..........................

जाति / जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले" सामान्य निर्वाचन / उप–निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक 20/3/14

Narendra Pratap Singh.
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★★यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★★★यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीचढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्य द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

## भाग III – क

## (अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी –

(i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या
(ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लघंन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

हाँ / नहीं

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. ........×........

(ii) पुलिस स्टेशन ........×........ जिला (जिलें) ........×........ राज्य ........×........

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था ........×........

(iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) ........×........

(v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था ........×........

(vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा / या जुर्माने की राशि उपदर्शित........

(vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) ........×........

(viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी / थीं

(ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख

(x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया........×........

(xi) क्या उक्त अपील (अपीले) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाए) का निपटारा कर लिया गया है या वे / वह अभी लंबित हैं........×........

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ........×........

(ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) ........×........

दिनांक 20/03/2017

स्थान ........

Narendra Pratap Singh

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

E:\Brahamanand\ELC\Prarup 2A Hindi Me

## भाग – IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 01/HP/2014/RO यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में 20.3.2014 (तारीख) को 2.55 अप. बजे को अभ्यर्थी / ~~प्रस्तावक~~ द्वारा दिया गया।

दिनांक 20.3.2014 रिटर्निंग ऑफिसर

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

---

## भाग – V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय

मैंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :–

दिनांक ................................ रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) ................................

---

Sri/Smt. [illegible]
Who is identified by Sri [illegible]
Advocate solemnly affirmed
and Declared Before me.

KAVINDRA SINGH
NOTARY, DIST BUXAR

NO. 3615 DATE 25/3/14 TIME 10/AM

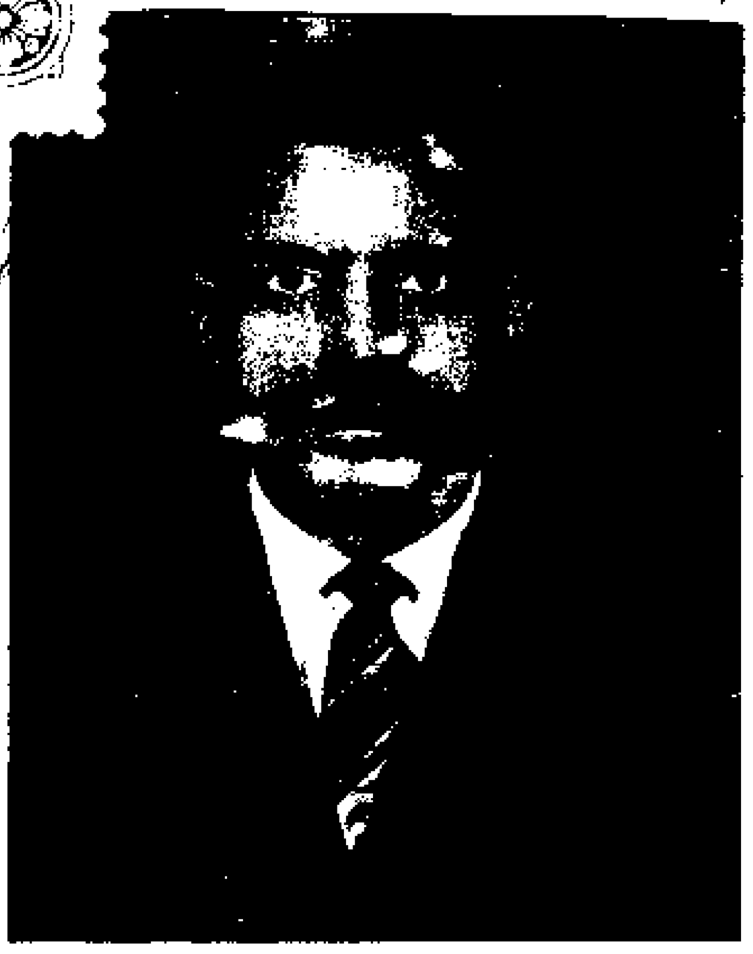

33 बक्सर लोकसभा ........ निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा ........ (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

## भाग–क

मैं नरेन्द्र प्रताप सिंह **पुत्र/~~पुत्री/पत्नी~~ श्री रामबचन सिंह आयु 33 वर्ष, जो साकिम- मल्हीपुर, डाकघर- रौनी थाना- राजपुर जिला- बक्सर पिनकोड- 802122 ........ (डाक का पूरा पता लिखें) का/~~की~~ निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/~~करती~~ हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/~~करती~~ हूँ :–

(1) मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी ........ (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया ~~अभ्यर्थी~~/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम राजपुर विधान सभा, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0 180 ........ के क्रम सं0 761 ........ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन न0 9507120481 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) narendra2yns@gmail.com है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि है तो) शून्य ........ शून्य ........ है।

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No. A Not.-2/91-7291(2)
J.PATNA
Govt. Of Bihar
25/3/14

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

| क्रम सं0 | नाम | पैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वयं | AZBPS7124F | शून्य | लागू नही |
| 2 | पति या पत्नी | AYMPS3985J | शून्य | लागू नही |
| 3 | आश्रित–1 | शून्य | शून्य | लागू नही |
| 4 | आश्रित–2 | शून्य | शून्य | लागू नही |
| 5 | आश्रित–3 | शून्य | शून्य | लागू नही |

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

| | | |
|---|---|---|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे | शून्य |
| (ख) | संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है | शून्य |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | शून्य |
| (घ) | न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई | शून्य |
| (ङ) | तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे | शून्य |
| (च) | क्या [illegible] भी [illegible] या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं | शून्य |

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No.:A Not.-2/11-7291(2)
J. PATNA
Govt. O

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न} –

| | | |
|---|---|---|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | शून्य |
| (ख) | उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है। | शून्य |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे | शून्य |

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

नम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| (क) | उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है | शून्य |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) | शून्य |
| (ग) | अधिरोपित दंड | शून्य |
| (ध) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति | शून्य |

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No.-A Not.-2/11-7291/2
J. PATNA
Govt. Of Bihar

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– जमा / विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

| क्रम.सं. | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित –1 | आश्रित –2 | आश्रित –3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | हाथ में नकदी | | | | | |
| (ii) | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | भारतीय स्टेट [illegible] [illegible] शाखा 4076 रुपया 25/3/2014 बैंक ऑफ बड़ौदा [illegible] 148 रुपया 25/3/2014 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iii) | कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iv) | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (v) | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No. A Not.-2/11-329/12
J. RATNA
Govt. ...

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (vi) | मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (vii) | जेवरात बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे) | शून्य | सोना-220 ग्राम 6,82,000 रूपया चाँदी-95 ग्राम 12,000 रूपया | शून्य | शून्य | शून्य |
| (viii) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ix) | समग्र कुल मूल्य | 224 [illegible] | 6,94,000 रूपया | शून्य | शून्य | शून्य |

## आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 –संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 –प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

| क्रम.सं. | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित –1 | आश्रित –2 | आश्रित –3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | कृषि भूमि की अवस्थिति. (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | जानकारी नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (एकड में कुल माप) | 3 एकड़ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या ~~नहीं~~) | हाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 24,00,000 रूपया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) | गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | जानकारी नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 1360 वर्गफुट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | हाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No. A Not. 7/14-7291(?)
PATNA
Govt. Of Bihar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विकारा, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | जानकारी नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 200,000 रु | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iii) | वणिजियक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | 126/3 पिसाँच शिवपुर वाराणसी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 4020 वर्गफुट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 2000 वर्गफुट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | हाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वअर्जित संपत्ति की दशा म क्रय की तारीख | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकारा, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोइ विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 30,00,000 रु | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iv) | आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | S.न 30/147 शिवपुर वाराणसी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 521 वर्गफुट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 526 वर्गफुट | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | सन् 2004 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | 5,00,000 रुपये | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 10,00,000 रुपये | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (v) | अन्य (जिसे कि संपत्ति में हित) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No. A Not.-2/11-229/2
PATNA
Govt. of Bihar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (vi) | पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य | 6600000 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

| क्रम.स. | विवरण | स्वय | पति या पत्नी | आश्रित -1 | आश्रित 2 | आश्रित 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कोई अन्य दायित्व | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | दायित्वों का कुल योग | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) | सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | आय-कर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | धनकर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | सेवाकर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विक्रयकर शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कोई अन्य शोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iii) | सभी सरकारी शोध्यो | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Regd.No. 4 No.12(11-729/12)
PATNA
Govt. Of Bihar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | का कुल योग | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| iv | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अन्तर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें। | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे

(क) स्वयं व्यवसाय (व्यवसाय)

(ख) पति या पत्नी शिक्षण कार्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :–

हाईस्कूल - माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश- 1996

इण्टरमीडिएट - माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश 1998

स्नातक - महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी- 2001

परास्नातक - महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 2010

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

## भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गऐ ब्यौरे का उद्धहरण

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अभ्यर्थी का नाम | श्री/~~श्रीमती~~/~~कु०~~ नरेन्द्र प्रताप सिंह |
| 2 | डाक का पता | ग्रा०- मल्हीपुर पो०- सोनी थाना-राजपुर बक्सर, बिहार |
| 3 | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य | 202 राजपुर, बिहार |
| 4 | उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें) | स्वतन्त्र |
| 5 | (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए है। | शून्य |
| | (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न) | शून्य |
| 6 | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए) | शून्य |

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No.-A Not.-2/11-7391(2)
J. PATNA
Govt. Of Bihar
23/3/15

| 7 | | स्थायी लेखा सं0 | वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। | कुल दर्शित आय |
|---|---|---|---|---|
| | (क) अभ्यर्थी | AZBPS 7124F | शून्य | शून्य |
| | (ख) पति या पत्नी | AYMPS 3985J | शून्य | शून्य |
| | (ग) आश्रित | शून्य | शून्य | शून्य |

| 8 | आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विवरण | | स्वयं | पति/पत्नी | आश्रित–1 | आश्रित–2 | आश्रित–3 |
| क | जंगम आस्तिया (कुल मूल्य) | | 224 रुपया | 695000 रुपया | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख | स्थावर आस्तियां | | | | | | |
| | I | स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत | 5,00,000 रुपया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | II | क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो) | लागू नहीं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | III | निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत | 10,00,000 रुपया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | (क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य) | 10,00,000 रुपया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | (ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य) | 56,00,000 रुपया | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9 | दायित्व | | | | | | |
| | | सरकारी शोध्य (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | ii | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No. A Not.-2/11-7291/2
PATNA
Govt. of Bihar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | से ऋण (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 10. | | ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | (ii) | बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| | |
|---|---|
| 11 | उच्चतम शैक्षिक अर्हता :<br>(1) स्नातक - महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी - 2001<br>(2) परास्नातक (राजनीति विज्ञान) महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 2010<br>(प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षा विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।) |

## सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ
कि :–

(क) मेरे विरूद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 25/3/2014 को सत्यापित किया गया।

Narendra Pratap Singh
अभिसाक्षी

NOTARY
KAVINDRA SINGH
BUXAR
Reg.No. A Not. 2/117/29(2)
J. PATNA
Govt. Of Bihar

Identify the signature of Narendra pratap Singh who has signed in my presence

Pramod Sharma
Adv
25.3.2014
2521/03

टिप्पण– 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण– 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण– 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नही होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण– 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण– 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121–2008 में रिसर्जेस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये है, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नही' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण– 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9507120481

मेरा ई–मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है narendra2vrs@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है शून्य

टिप्पण– 7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।